मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

पंजीकरण दिनाँक: 04/07/18 निर्णय दिनाँक: 26/10/20 अवधि: 2 वर्ष, 3 माह, 22 दिन

एम.ए.सी.पी.संख्या-243/2018

1. श्रीमती माया देवी, 43, पत्नी स्व. दशरथ
2. सोनू पुत्र स्व. दशरथ उम्र 26 वर्ष,
3. मोनू पुत्र स्व. दशरथ उम्र 24 वर्ष,

समस्त निवासीगण मजपटिया मोहल्ला बड़ागॉव जिला झाँसी उ.प्र.

-----याचीगण।

प्रति

1. अशोक कुमार पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम विलाटी खेत जिला झाँसी, उ.प्र.

.....चालक मोटर साइकिल सं. यू.पी. 93 ए एन 8843

2. संजू पुत्र राम स्वरूप निवासी 237 ग्राम व पोस्ट सिया थाना चिरगॉव जिला झाँसी उ.प्र.

.....मालिक मोटर साइकिल सं. यू.पी. 93 ए एन 8843

3. मण्डलीय प्रबन्धक दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कचहरी चौराहा, झाँसी

.....बीमा कम्पनी मोटर साइकिल सं. यू.पी. 93 ए एन 8843

-----विपक्षीगण।

याची के द्वारा अधिवक्ता श्री महेन्द्र विश्वकर्मा
विपक्षी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता श्री दीपक श्रीवास्तव
विपक्षी सं. 3 के अधिवक्ता श्री सुपर्व शरण

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में दशरथ की मृत्यु के कारण ₹ 18,50,000/- क्षतिपूर्ति मय 18% सालाना ब्याज व खर्चा मुकदमा हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि दिनाँक 25.08.2017 को याचीगण के पति, पिता दशरथ अपना काम समाप्त करने के पश्चात समय करीब 6 बजे शाम साइकिल से घर आ रहे थे। जैसे ही वह झाँसी-कानपुर मार्ग डायमण्ड सीमेन्ट तिराहे पर पहुँचे तभी पीछे से एक मोटर साइकिल नं. यू.पी. 93 ए एन 8843 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुये साइकिल के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे दशरथ गम्भीर रूप से घायल हो गये व उन्हें उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज,झाँसी ले जाया गया जहॉ पर दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गयी। मृतक की आयु 45 वर्ष थी, वह शरीर से हृष्ट-पुष्ट व मेहनती थे तथा मकान बनाने के राजमिस्त्री का कार्य करके 15,000/-रुपये प्रतिमाह कमा लेते थे।

3. विपक्षी सं. 1 अशोक कुमार व विपक्षी 2 संजू जो कि प्रश्नगत मोटर साइकिल के क्रमशः चालक व मालिक हैं की ओर से संयुक्त जवाबदावा 19 बी दाखिल किया गया है, जिसमें उन्होंने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि उक्त दुर्घटना में विपक्षी सं. 1 चालक की कोई गलती नही थी, उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा कायम कराया गया है। विपक्षी सं. 1 के पास मोटर साइकिल चलाने का वैध व प्रभावी लाइसेन्स था जो दुर्घटना दिनाँक को वैध व प्रभावी है। यदि यह पाया जाता है कि उक्त दुर्घटना में विपक्षी सं. 1 चालक की कोई तेजी व लापरवाही है तो ऐसी स्थिति में विपक्षी सं. 2 का वाहन प्रतिवादी सं. 3 बीमा कम्पनी के यहॉ समस्त दायित्वों के लिये बीमित था एवम् समस्त क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. 3 का होगा।

4. विपक्षी सं. 3 दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कं. लि. की ओर से 15 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये गये हैं कि यदि यह पाया जाता है कि कथित दुघर्टना के दिनाँक व समय पर प्रश्नगत मोटर

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.10.26 17:45:08 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

साइकिल के चालक के पास वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था तो मिन विपक्षी से याचीगण कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे। यदि यह पाया जाता है कि तथाकथित दुर्घटना मोटर साइकिल के चालक एवं मृतक दशरथ की अंशदायी लापरवाही के कारण घटित हुयी है तो मिन विपक्षी उसी अंशदायी लापरवाही के अनुपात में प्रतिकर अदायगी के लिये उत्तरदायी होगा। बीमा कम्पनी का दायित्व तभी बनता है जब बीमा संविदा की सभी शर्तों का पालन किया गया हो।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक 28.11.2018 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः-

1. क्या दिनाँक 25.08.2017 को जब याचीगण के पति/पिता दशरथ अपना काम समाप्त कर साइकिल से अपने घर वापस जा रहे थे, तो समय सायंकाल 6 बजे झाँसी-कानपुर रोड पर डायमण्ड सीमेण्ट तिराहे के पास, बहद थाना बड़ागॉव, जिला झाँसी में विपक्षी सं. 2 की मोटर साइकिल सं. यू.पी. 93 ए एन 8843 के चालक / विपक्षी सं. 1 ने उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये पीछे से याचीगण के पति/पिता को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके फलस्वरूप आयी गम्भीर चोटों के कारण उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गयी?

2. क्या प्रश्नगत दुर्घटना याची व प्रश्नगत वाहन चालक दोनों की योगदायी/अंशदायी उपेक्षा के परिणाम स्वरूप घटित हुयी है?

3. क्या प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि व समय पर विपक्षी सं. 2 की मोटर साईकिल सं. यू.पी. 93 ए एन 8843 के चालक/विपक्षी सं. 1 के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था?

4. क्या प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि व समय पर विपक्षी सं. 2 की मोटर साईकिल सं. यू.पी. 93 ए एन 8843 विपक्षी सं. 3 दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. से विधिवत् बीमित थी?

5. क्या याचीगण कोई प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हाँ तो कितना और किससे?

6. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

1. याचीगण द्वारा फेहरिस्त 7 सी1 के माध्यम से 8 सी1 लगायत 11 सी1/2 जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा पालिसी, ड्राईविंग लाइसेन्स की छाया प्रतियाँ शामिल हैं,

2. याचीगण द्वारा फेहरिस्त 19 सी1 के माध्यम से 20 सी2/1 लगायत 26 सी/2 जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोपपत्र, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, नक्शा नजरी, प्रार्थनापत्र एस.एस.पी., प्रार्थनापत्र धारा-156(3) सी.आर.पी.सी., प्रकीर्ण वाद सं. 309/2017 में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,न्यायालय सं. 2, झाँसी द्वारा पारित आदेश दिनाँकित 17.01.2018 की प्रमाणित प्रतियाँ शामिल हैं,

3. विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा फेहरिस्त 20 सी1 के माध्यम से 21 सी1 लगायत 24 सी1

जिनमें पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा पालिसी, ड्राईविंग लाइसेन्स, आधार कार्ड की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,

4. याचीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.1 के रूप में याचिया श्रीमती मायादेवी एवं पी.डब्लू.2 के रूप में चक्षुदर्शी बलवीर को परीक्षित कराया गया है,

5. विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

7. मैंने उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता की वर्चुअल कोर्ट मे बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

8. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1 व 2</u>**

पी.डब्लू.1 याचिया श्रीमती माया देवी ने याचिका के कथनों का समर्थन किया है किन्तु इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मैंने घटना होते हुये नहीं देखा था।

9. चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्लू.2 बलवीर ने कथन किया है कि घटना दिनाँक 25.08.2017 को समय करीब 6 बजे शाम झाँसी कानपुर मार्ग डायमण्ड तिराहा की है। वह मजदूरी करके वापस घर आने के लिये तिराहे पर खड़ा होकर वाहन का इन्तजार कर रहा था कि उस समय दशरथ अपनी साइकिल से घर जा रहे थे, कि तभी चिरगॉव की तरफ से एक मोटर साइकिल नं. यू.पी. 93 ए एन 8843 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे दशरथ गम्भीर रूप से घायल हो गये और दौरान उपचार उनकी झाँसी मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गयी। उक्त घटना घटित होते हुये उसने अपनी ऑखों से देखी थी। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना के संबंध में पुलिस ने उसके बयान लिए थे। इस साक्षी के प्रति परीक्षा से ऐसी कोई विसंगति स्पष्ट नहीं हुई है जिससे इस साक्षी की सत्यता पर संदेह किया जा सके। पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल नंबर यूपी 93 ए एन 8843 के चालक अशोक कुमार राजपूत पुत्र प्रीतम सिंह निवासी गुलाटी खेत जिला झाँसी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 279/337/338/427/304 ए के अंतर्गत न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। वकुवा की नक्शा नजरी से भी घटना का समर्थन होता है जो निम्न प्रकार है-

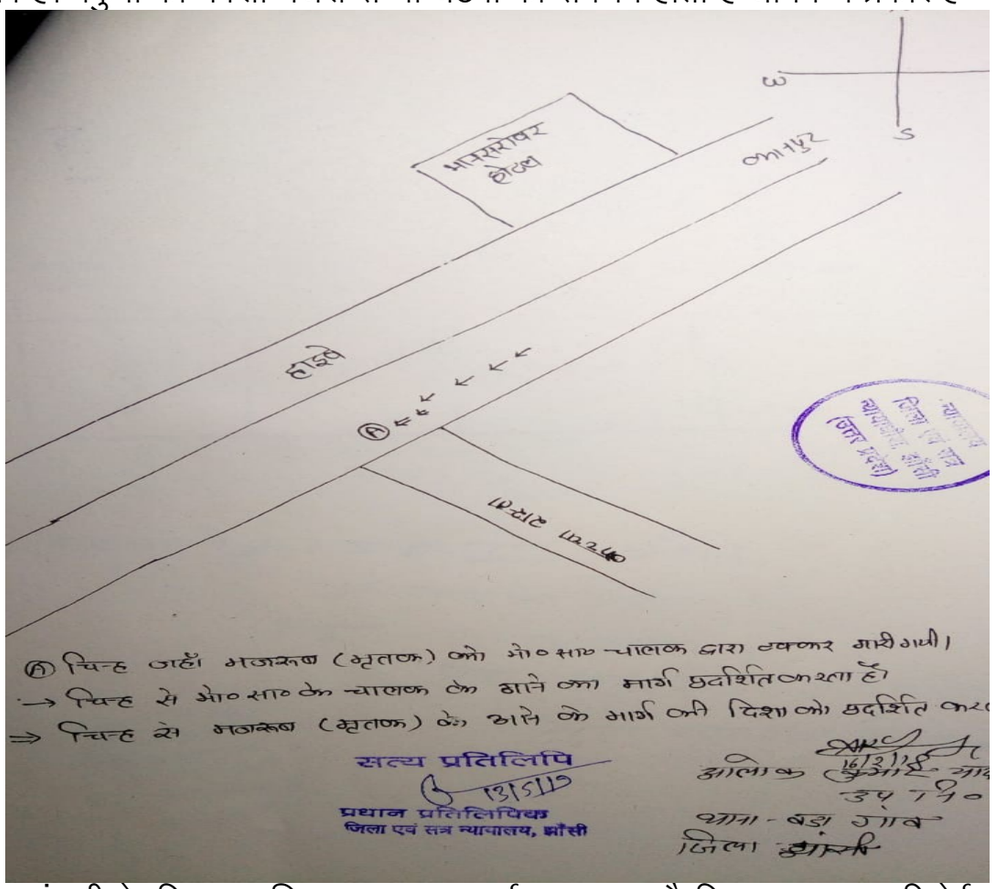

बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क रखा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में लगभग साढ़े पाँच माह का विलंब है जिससे यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटना में वाहन को झूठा रोपित किया गया है। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि विलंब का कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट से ही स्पष्ट है। पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने से इंकार पर मृतक के पुत्र द्वारा न्यायालय के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ऐसे ते विलंब लाज़मी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब के बिंदु पर विधि व्यवस्था Ravi vs. Badrinarayan and Ors. (18.02.2011 – SC): MANU / SC / 0133/2011 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि *मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका*

जाना है। [पैरा - 20 और 21]। दुर्घटना के दूसरे दिन किए गए पोस्टमार्टम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुर्घटनाओं में आई चोटों के कारण मुक्त होने का उल्लेख किया गया है। बीमा कंपनी या मोटरसाइकिल के स्वामी वह चालक की ओर से कोई ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है जिप्सी दुर्घटना वह दुर्घटना में चालक की तेजी व लापरवाही का खंडन होता हो। योग दाई उपेक्षा के संबंध में कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि दिनाँक 25.08.2017 को जब दशरथ साइकिल से अपने घर वापस जा रहे थे, तो समय सायंकाल 6 बजे झाँसी-कानपुर रोड पर डायमण्ड सीमेण्ट तिराहे के पास, मोटर साइकिल सं. यू.पी. 93 ए एन 8843 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुये पीछे से दशरथ को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके फलस्वरूप आयी गम्भीर चोटों के कारण उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गयी जिसमें दशरथ की कोई योगदाई उपेक्षा नहीं थी। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 1 व 2 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

10. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. 10 सी1/5 व विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से प्रपत्र सं. 23 सी1 मोटर साइकिल सं. यू.पी. 93 ए एन 8843 के चालक अशोक कुमार पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम विलाटी खेत जिला झाँसी की चालन अनुज्ञप्ति की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार चालक के पास दिनाँक 23.11.2009 से 13.07.2025 तक मोटर साइकिल चलाने का वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति थी। इस अनुज्ञप्ति का खण्डन विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनाँक 25.08.2017 की है। आरोपपत्र चालक अशोक कुमार पुत्र प्रीतम सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटना दिनाँक को मोटर साइकिल संख्या यू.पी. 93 ए एन 8843 के चालक अशोक कुमार के पास मोटर साइकिल चलाने का वैध व प्रभावी लाइसेन्स था। अत: वाद बिन्दु सं. 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

11. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से 10 सी1/2 व विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से प्रपत्र सं. 22 सी1 मोटर साइकिल सं. यू.पी. 93 ए एन 8843 की बीमा पॉलिसी की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि मोटर साइकिल सं. यू.पी. 93 ए एन 8843 का बीमा दिनाँक 16.01.2017 से 15.01.2018 तक प्रभावी है। इस बीमा पॉलिसी का खण्डन विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। इसके अतिरिक्त याची व विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से मोटर साइकिल सं. यू.पी. 93 ए एन 8843 का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रपत्र सं. 10 सी1 व 21 सी1 भी दाखिल की गयी हैं, जिसका भी खण्डन विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया जा सका है। घटना दिनाँक 25.08.2017 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटना दिनाँक को मोटर साइकिल सं. यू.पी. 93 ए एन 8843 विपक्षी संख्या 3 दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के यहाॅ बीमित थी। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 4 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

12. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 5</u>

वाद बिन्दु सं. 1 के निस्तारण से यह साबित है कि मोटर साइकिल सं. यू.पी. 93 ए एन 8843 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुये पीछे से याचीगण के पति व पुत्र दशरथ को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके फलस्वरूप आयी गम्भीर चोटों के कारण उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गयी जिसमें दशरथ की कोई योगदाई उपेक्षा नहीं थी। इस प्रकार याचीगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अब प्रश्न यह हैं कि याची किस विपक्षी से और कितनी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है? चूँकि वाद बिन्दु संख्या 3 व 4 सकारात्मक रूप से निर्णीत किये हैं अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. 3 दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

13. <u>क्षतिपूर्ति की गणना-</u>

14. याचीगण ने अपनी याचिका में मृतक दशरथ की राजमिस्त्री के कार्य से मासिक आय ₹ 15,000 अंकित किया है जिसका समर्थन मृतक की पत्नी पी. डब्लू. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपनी बायानों में किया है। पी. डब्लू. 1 हितबद्ध साक्षी हैं और उन्होंने याची की आय के सम्बन्ध में कोई प्रलेखीय साक्ष्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इन परिस्थितियों में नोशनल आय को संज्ञान में लेना ही न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03.2008 - SC) : MANU/SC/7368/2008 मे माननीय उच्चतम न्याालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹ 100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018 – ALLHC) : MANU/UP/2954/2018 मे माननीय उच्च न्याालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹ 200 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत मे असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। वास्तव मे कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। माह मे औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण मे कल्पित आय (Notional Income) ₹ 165 निर्धारित की जाती है।

15. पी. डब्लू. 1 ने मृतक की आयु 45 वर्ष बतायी है किंतु मृतक के आधार कार्ड सं. मे मृतक की जन्मतिथि 01/07/1970 अंकित जिसके अनुसार मृतक की आयु लगभग 47 वर्ष आती है आधार कार्ड पर अंकित जन्मतिथि विश्वसनीय होती है। अतः मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि मृतक की आयु 47 वर्ष की थी। विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 - SC) : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार गुण्य प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए यदि मान लिया जाए कि मृत्यु हुई होती तो 13 का गुणक प्रयोज्य होता तथा 40-50 आयु वर्ग के लिए 25% भविष्य मे प्रत्याशा की वृद्धि होती। मृतक पर पत्नी व दो पुत्र आश्रित थे अतः स्वयं के खर्च पर 1/3 भाग की कटौती होनी चाहिए। मेरे विचार से साहचर्य की क्षति के मद में ₹40,000, संपदा की क्षति के मद में ₹15,000 तथा दाह संस्कार के खर्च के लिए ₹15,000 भी स्वीकार किए जाने चाहिए; अतः

INCOME-DAILY x DAYS OF MONTH x MONTHS OF YEAR	165	30	12	59400
FUTURE PROSPECTS IN %			25	14850
PART OF SELF EXPENSE			3	24750
AFTER DEDUCTION OF PART OF SELF EXPENSE (MULTIPLICAND)				49500
MULTIPLIER			13	643500
LOSS OF CONSORTIUM			40000	683500
LOSS OF ESTATE			15000	698500
FUNERAL EXPENSE			15000	713500
TOTAL COMPENSATION				**713500**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹ 7,13,500 आती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 - SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Jai Prakash vs. National Insurance Co. Ltd. and Ors. (17.12.2009 - SC) : MANU/SC/1949/2009 व M.R. Krishna Murthi vs. The New India Assurance Co. Ltd. and Ors. (05.03.2019 - SC) : MANU/SC/0321/2019 के आलोक मे क्षतिपूर्ति की 75% धनराशि की पाँच वर्षीय एन्युटी की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी सं. 1 व 2 के विरुद्ध संयुक्त एवं प्रथक-प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ **7,13,500** (सात लाख तेरह हजार पाँच सौ) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 3 दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनॉक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्तिकर्ता के रूप मे क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 3671000101192489 IFSC- PUNB0367100 मे RTGS/NEFT के माध्यम से कर दे तथा उसका ट्रांजैक्शन नंबर मय याचिका संख्या व नाम बनाम न्यायाधिकरण के ईमेल po@mactjhansi.in व mactjhansi@gmail.com पर अवश्य प्रेषित कर दिया जाए।

याची सं. 1, 2, व 3 क्षतिपूर्ति धनराशि का क्रमशः 70, 15 व 15 प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे। याचीगण को प्राप्त होने वाली धनराशि का 75 प्रतिशत भाग की पाँच वर्ष के लिए एन्युटी की योजना बनायी जायेगी। शेष धनराशि न्यायाधिकरण के आदेश पर याची के बैंक खाते मे RTGS/NEFT के माध्यम से स्थानांतरित कर दी जायेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 26.10.2020

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले वर्चुअल न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 26.10.2020

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी